तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज
28/12/23	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये जिनको करीब 1½ माह से अधिक समय हो चुका हैं। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाने गई, अन्तिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वंय या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा–सेढ आये हुए हैं, प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे व कणें बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों के कारण बिखर गये हैं जिससे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणों के बिच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता हैं। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवानें बाबत् नेखमबन्दी करवानी आवश्यक हैं। इसलिए प्रार्थी के नेखमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ भू. अ. नि. से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेंखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बालोतरा

क्रमांकः वाद / 2024 / 1498 दिनांकः— 28/12/23

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
देवाराम पुत्र मानाराम वगैरा 4 निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु (बालोतरा)		गंगाराम पुत्र निम्बाराम वगैरा 15 निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु (बालोतरा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 393 / 2023

आदेश

प्रार्थीगण के कब्जासुदा खातेदारी खेत मौजा—बायतु भोपजी, पटवार हल्का—बायतु भोपजी, तहसील—बायतु, के खेत खसरा संख्या 1034 / 540 रकबा 1.7798 हेक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा हैं खातेदार को यह अधिकार हैं कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबन्दी करा सकता हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अर्न्तगत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क 500/— जमा करवाकर करें एवं पालना रिपोट पेंश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांकः वाद / 2024 / 1499 to 1503 दिनांकः— 28/12/23

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित हैं।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख हैं कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी देवाराम पुत्र मानाराम वगैरा 4
4. विप्रार्थी गंगाराम पुत्र निम्बाराम वगैरा 15
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु